



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 10 दिसम्बर, 2020

अग्रहायण 19, 1942 शक सम्बत्

उत्तर प्रदेश शासन

नगर विकास अनुभाग-1

संख्या 2078/9-1-2020-57टी0ए0-20

लखनऊ, 10 दिसम्बर, 2020

अधिसूचना

प0आ0-394

उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित भारत का संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और अधिसूचना संख्या 3781टी/9-1-50जी/69, दिनांक 11 जुलाई, 1972 और इस निमित्त जारी की गयी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके, राज्यपाल नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत पचपेड़वा, जिला बलरामपुर के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित करने के लिए जिस अधिसूचना को जारी करने के लिए प्रस्ताव करती हैं, उसका निम्नलिखित प्रारूप, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार समस्त सम्बन्धित की सूचना के लिए और उसके संबंध में आपत्तियों और सुझाव आमन्त्रित करने की दृष्टि से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

2-प्रस्तावित अधिसूचना के संबंध में, आपत्तियां और सुझाव, यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-1, बापू भवन, लखनऊ को सम्बोधित करके लिखित रूप में भेजे जाने चाहिए। केवल उन्ही आपत्तियों और सुझावों पर विचार किया जायेगा, जो इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से 15 दिन के भीतर प्राप्त होंगे।

अधिसूचना का प्रारूप

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1916) की धारा 3 की उपधारा (2) के साथ पठित संविधान के अनुच्छेद 243-थ के खण्ड (2) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके और

अधिसूचना संख्या 3781टी/9-1-50जी/69, दिनांक 11 जुलाई, 1972 और इस निमित्त जारी अन्य पूर्ववर्ती अधिसूचनाओं का आंशिक उपान्तर करके राज्यपाल संविधान के भाग नौ-‘क’ के प्रयोजनार्थ नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों को नगर पंचायत पचपेड़वा, जिला बलरामपुर के संक्रमणशील क्षेत्रों में सम्मिलित करती हैं:-

अनुसूची

नगर पंचायत पचपेड़वा, जिला बलरामपुर के संक्रमणशील क्षेत्र में सम्मिलित किये जाने वाले क्षेत्र :-

क्रम सं०	ग्राम का नाम	दिशा	गाटा संख्याओं का विवरण
1	पचपेड़वा ग्रामीण	उत्तर	01 से 49 तक, 360 से 393 तक, 393/2001, 394 से 399 तक, 309 से 326 तक।
		दक्षिण	1305 से 1497 तक, 1507 से 1509 तक, 1517, 1619, 1620, 1621, 1919 से 1940 तक, 1940/1998, 1941 से 1998 तक।
		पूर्व	258 से 308 तक, 400 से 478 तक, 966 से 994 तक, 1769 से 1917 तक।
		पश्चिम	652 से 889 तक, 1125 से 1304 तक, 1536 से 1589 तक।
2	सिसहनिया बरगदही	दक्षिण	01 से 960 तक।
3	बरगदहा सैफ	पूर्व	01 से 1628 तक।

आज्ञा से,
दीपक कुमार,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 2078/IX-1-2020-57 T.A.-20, dated December 10, 2020:

No. 2078/IX-1-2020-57 T.A.-20
Dated Lucknow, December 10, 2020

THE following draft notification which the Governor proposes to issue in exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution of India read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no II of 1916) and in partial modification of notification no. 3781T/9-1-50G/69, dated July 11, 1972 and other previous notifications issued in this behalf for including the areas specified in the Schedule below in the transitional area of Nagar Panchayat Pachpedwa in District Balrampur, is hereby published for the information of all concerned and with a view to inviting objections and suggestions in respect thereof as required under sub-section (1) of section 4 of the said Act.

2. Objections or suggestions, if any, with respect to the proposed notification should be sent in writing addressed to the Pramukh Sachiv, Uttar Pradesh Shasan, Nagar Vikas Anubhag-1, Bapu Bhawan, Lucknow. Only such objections and suggestions shall be taken into consideration as are received within fifteen days from the date of publication of this notification in the Gazette.

DRAFT NOTIFICATION

In exercise of the powers under clause (2) of Article 243-Q of the Constitution read with sub-section (2) of section 3 of the Uttar Pradesh Municipalities Act, 1916 (U.P. Act no II of 1916), and in partial modification of notification no.3781T/9-1-50G/69, dated July 11,1972 and other previous notifications issued in this behalf the Governor is pleased to include the areas specified in the Schedule

below in the transitional area of Nagar Panchayat Pachpedwa in District Balrampur for the purposes of Part IX-A of the Constitution.

SCHEDULE

Area being included in the transitional area of Nagar Panchayat Pachpedwa in District Balrampur :-

Sr. No.	Name of Villages	Direction	Detail of Gattas
1	Pachpedwa Rural	North	01 to 49, 360 to 393, 393/2001, 394 to 399, 309 to 326,
		South	1305 to 1497, 1507 to 1509, 1517, 1619, 1620, 1621, 1919 to 1940, 1940/1998, 1941 to 1998,
		East	258 to 308, 400 to 478, 966 to 994, 1769 to 1917,
		North	652 to 889, 1125 to 1304, 1536 to 1589,
2	Sisahniya Bargadhi	South	01 to 960,
3	Bargadha Saif	East	01 to 1628.

By order,
DEEPAK KUMAR,
Pramukh Sachiv.